

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्वनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या- 46

वर्तीय वर्ष 2016-2017

(धनराश हजार रुपये में)

निम्न लखत निधियों से प्रस्तावत संक्रमण				वर्तव्य विभाग द्वारा भरा जाएगा		लखत निधियों में प्रस्तावत संक्रमण				वर्तव्य विभाग द्वारा भरा जाएगा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ वनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमण की जाने वाली धनराश	वर्तव्य विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराश	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / वनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वर्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ वनियोग	वर्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावत धनराश (9-8)	वर्तव्य विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराश	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ वनियोग (8+10)
2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्य-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-01-वेतन	30000	25077	8400	8400	21600	2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्य-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन -00-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1350	9750	8400	8400	9750
2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्य-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन -00-वेतन-03- महंगाई भत्ता	40800	34968	4800	4800	36000	2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्य-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन -00-09- वदयुत देय	500	5300	4800	4800	5300
योग-	70800	60045	13200	13200	57600		1850	15050	13200	13200	15050

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

- 01- वेतन- आयोग में सूचना आयुक्त का एक पद रिक्त होने एवं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण ।
03- महंगाई भत्ता- आयोग में सूचना आयुक्त का एक पद रिक्त होने एवं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण ।

02- स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्न लिखित कारणों से हैं :-

- 16- व्यावसायिक सेवायें- संवदा के आधार पर कार्यरत कुल 88 कर्मचारियों के वेतन भुगतान, भवन की सुरक्षा की व्यवस्था तथा सफाई कार्य हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में धनराश की कमी के कारण ₹ 84,00,000/- (रूपये चौरासी लाख) की आवश्यकता होगी।

09- वद्युत व्यय - वद्युत मद में कमी के कारण रूपये 48,00,000/- (रूपये अड़तालीस लाख) की आवश्यकता है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, व 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

भवेश रंजन

उप सचिव।

संख्या-आर0ई0 36-ई-9-230/दस-2016, दिनांक 24 जून, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उ0प्र0 इलाहाबाद।

देशराज सिंह

अनु सचिव,

वत्त वभाग।

संख्या- 21/2016/897(1)/43-1-2016-7(1)/2015 दिनांक 24 जून, 2016

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- स चव, 30प्र0 सूचना आयोग, वभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वत्त एवं लेखा धकारी, 30प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
- 5- लेखाकार, 30प्र राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
- 6- निदेशक वत्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- वत्त (व्यय नियंत्रण) अनु भाग-9 (तीन प्रतियों)।
- 8- वत्त (आय-व्ययक अनुभाग-2 (तीन प्रतियों)।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

भवेश रंजन

उप स चव।